

राजस्थान सरकार
कार्यालय निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

आदेश 51

13 APR 2018

विभाग से जारी आदेश क्रमांक 581 दिनांक 22.03.2018 तथा एवं 594 दिनांक 27.03.2018 में निम्नलिखित अभ्यर्थियों के संदर्भ में पूर्व पदस्थापन स्थान में इनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है।

क्रम संख्या	मेरिट क्रमांक	नाम	पिता का नाम	पूर्व पदस्थापन स्थल, कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग	संशोधित पदस्थापन स्थल, कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
1.	3835	ANNU YADAV	PREM CHAND YADAV	झालावाड़	मुख्यालय, जयपुर
2.	3959	ANITA SAINI	GANGA RAM SAINI	राजसमन्द	जयपुर शहर
3.	4011	AMRITA MAHARIYA	JAGDISH SINGH	चित्तोडगढ	सीकर
4.	4043	DEEPA KUMARI	BABU LAL	दौसा	झुन्झुनु
5.	4215	NAVNEETA YADAV	RAMNIWAS YADAV	राजसमन्द	जयपुर ग्रामीण
6.	4512	ANITA SAINI	BHOM RAJ SAINI	चित्तोडगढ	सीकर
7.	4743	MONU GUPTA	VINOD KUMAR GUPTA	उदयपुर ग्रामीण	सीकर
8.	4823	MADHU	RAM LAL	उदयपुर	सचिवालय, जयपुर
9.	4879	SARITA KUMARI	SYOPAL	भीलवाडा	मुख्यालय, जयपुर
10.	4892	SAKSHI DADHICH	SURESH CHAND SHARMA	भीलवाडा	जयपुर शहर
11.	4803	NEENA KUMARI	RAJVEER SINGH	भीलवाडा	झुन्झुनु
12.	4665	EUREKA	CHARAN SINGH	भरतपुर	अलवर

आदेश की शेष शर्तें उपर्युक्त आदेशों के अनुरूप यथावत रहेगीं।

उपर्युक्त कार्मिक 7 कार्यदिवसों अर्थात दिनांक 24.04.2018 तक ज्वाइन करें।

(भंवर लाल मेहरा)
निदेशक

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ1(ए)49/पार्ट-5/संस्था/बीमा/2018/ 1161 - 1200 दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

13 APR 2018

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक : प.1(6)प्र0सु0/अनु-3/2017 दिनांक 08.02.2018 के क्रम में।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
6. सम्बन्धित वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, संभाग/जिला कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग।
7. संयुक्त निदेशक (संस्थापन)/एपीएआर सैल, मुख्यालय, जयपुर।
8. सम्बन्धित कर्मचारी।
9. वरिष्ठता निर्धारक लिपिक/केडर स्ट्रेंथ लिपिक
10. सेवा पुस्तिका लिपिक संबंधित कार्यालय, राज्य बीमा एवं प्रा0नि0विभाग,
11. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली


13/4/18

(किशनाराम ईशरवाल)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर।